समाचार

कोविड–19 के संक्रमण से बचने कोरोना प्रोटोकाल का अनिवार्य रूप से पालन करें–कलेक्टर

(सभी की सजगता एवं सहयोग से कोरोना की संभावित तीसरी लहर के आने को रोका जा सकता है)

कोरबा 03 अगस्त 2021 –कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि कोविड–19 की संभावित तीसरी लहर को रोकने एवं कोरोना संक्रमण से बचने हेतु अनिवार्य रूप से सभी आवश्यक सावधानियां बरते, घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाएं, सार्वजनिक स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें तथा कोविड–19 के प्रोटोकाल का पूर्ण रूप से पालन करें।

कलेक्टर श्रीमती साहू ने अपील करते हुए आगे कहा है कि विगत 02 अगस्त से कोरबा जिले में विद्यालय खोले जा चुके हैं, बच्चों के भविष्य को देखते हुए यह आवश्यक भी है कि स्कूलों का नियमित संचालन हों, ताकि बच्चों की पढ़ाई–लिखाई प्रभावित न हों। स्कूलों में कोविड–19 के प्रोटोकाल का पूर्ण रूप से पालन करते हुए स्कूलों के संचालन के निर्देश विभाग को दिए गए हैं तथा इनका पालन कड़ाई के साथ किए जाने को कहा गया है। कलेक्टर श्रीमती साहू ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम घर से बाहर निकलने पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं, सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें, स्कूल जाने वाले बच्चों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनाएं तथा कोरोना प्रोटोकाल के संबंध में उन्हें पूरी जानकारी दें। उन्होने कहा है कि सभी की सतर्कता एवं सहयोग से हम कोरोना की संभावित तीसरी लहर को आने से रोक सकेंगे।

प्रभावित राज्यों से आने वालों की सूचना दें– कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि केरल, महाराष्ट्र सहित देश के ऐसे राज्य जहां पर संक्रमण का प्रभाव अधिक है, इन राज्यों से कोरबा जिले में आने वाले व्यक्तियों की सूचना प्रशासन को अनिवार्य रूप से दें। सूचना देने हेतु जिला

प्रशासन द्वारा टोल फ्री नम्बर जारी किए गए हैं, कोरबा शहरी क्षेत्र के लिए टोल फ्री नम्बर 93400–61407 व 93400–61456 एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए टोल फ्री नम्बर 93400–61443 पर सूचना दी जा सकती है। उन्होने कहा है कि बाहर से आए लोगों की सूचना प्राप्त होने पर प्रशासन द्वारा संबंधित व्यक्तियों की कोविड जांच तथा अन्य एहतियाती कदम उठाकर संक्रमण के प्रसार को रोका जा सकेगा।

सार्वजनिक स्थानों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं– कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने अपील करते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, शासकीय एवं निजी कार्यालयों, बाजारों तथा अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। उन्होने व्यापारी बंधुओं से अपील करते हुए कहा है कि दुकानों, प्रतिष्ठानों में बिना मास्क पहने किसी को प्रवेश न करने दें, खुद मास्क पहने तथा ग्राहकों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें, साथ ही दुकानों, प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं बनाएं।